



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूर और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



4 भारत विभाजन पीड़ादायक अध्याय : वासुदेव देवनानी

6 विदेशी चंदे पर नियंत्रण और संतुलन की अपेक्षा

7 सनी देओल के अमिनय को देखकर खामोश हो जाता था पूरा सेट : कनिका कपूर

फर्स्ट टेक

चुनौतियों के बीच एयर इंडिया की दो साल में अपने बेड़े में 100 विमान शामिल करने की योजना : सीईओ

नई दिल्ली/भाषा। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कैप्टन विल्सन ने बृहस्पतिवार को कहा कि एयरलाइन बाहरी परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन वह लाभ की राह पर लौटने के लक्ष्य पर कायम रहते हुए अगले दो वर्षों के भीतर 100 से अधिक नए विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रही है। घाटे में चल रही एयर इंडिया को कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच, कंपनी में नेतृत्व परिवर्तन भी हो रहा है। इथियोपियन एयरलाइंस समूह के पूर्व प्रमुख टेयोल्डे ग्रेनमरियम अब विल्सन की जगह एयर इंडिया के नए सीईओ एवं प्रबंध निदेशक का पद संभालने वाले हैं।

सोशल मीडिया पर सनातन धर्म के कथित अपमान के खिलाफ न्यायालय में जनहित याचिका दायर

नई दिल्ली/भाषा। सनातन धर्म, हिंदू देवी-देवताओं का कथित तौर पर अपमान एवं सांप्रदायिक सोहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाली ऑनलाइन सामग्री की पहचान करने और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का केंद्र सरकार और सोशल मीडिया मंचों को निर्देश देने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता हितेंद्र कुमार पुरुषोत्तमभाई गडिया की ओर से दायर इस जनहित याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दिल्ली सरकार के साथ-साथ गूगल/यूट्यूब, मेटा मंचों (फेसबुक और इंस्टाग्राम), 'एक्स' और 'व्हाट्सएप' को प्रतिवादी बनाया गया है।

चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में मलबा व पानी भरने से कई लोग फंसे

गोपेश्वर (उत्तराखंड)/भाषा। चमोली जिले के मायापुर में टीएचडीसी की निर्माणाधीन सुरंग में मलबा एवं पानी भरने से अंदर कई लोग फंस गए जबकि 13 लोगों को सुरंग से सुरक्षित निकाल लिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने यह जानकारी दी। प्रशासन की ओर से मौके पर बचाव अभियान शुरू किया गया है। यह हावसा बृहस्पतिवार शाम को चमोली जिले के मायापुर-हाट (पीपलकोटी) में टीएचडीसी की निर्माणाधीन सुरंग में हुआ। अधिकारियों के अनुसार, सुरंग में शाम सात बजे के आसपास मलबा एवं पानी भरने की सूचना मिली थी।

14-07-2026 सूर्योदय 6:41 बजे	15-08-2026 सूर्योदय 6:09 बजे
BSE 78,079.96 (+113.61)	NSE 24,395.85 (-40.11)
सोना 15,949 रु. (24 कैरेट) प्रति बाम	चांदी 244,760 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक

epaper.dakshinbharat.com



केलाश मण्डेला, मो. 9828233434

मतदण्ड

जो जीता वही सिकंदर है, हारे तो समझो मिला दण्ड। ना हो सकता है लोकतंत्र में, राज किसी का भी अखण्ड। कर देते ठनठनपाल कभी, या देते जन बहुमत प्रचण्ड। मतदण्डों के आगे पीते, अच्छे-अच्छे भी यहां ठण्ड।।



सदन ने राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' को भी द्रमुक समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी।

आय से अधिक संपत्ति मामला

उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे राहुल गांधी

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की वाद सूची के अनुसार, प्रधान

न्यायाधीश जस्टिस जयमूर्ति जांच के बाद यह आदेश पारित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता विदेश ने इससे पहले भी याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता के पास दोहरी नागरिकता है। अदालत ने कहा था कि सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामा उसके पहले के आदेश के अनुरूप नहीं है और उसमें गांधी की के वरिष्ठ अधिकारी को राहुल के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच में हुई प्रगति का विस्तृत ब्योरा देते हुए नया हलफनामा व्यक्तिगत रूप से दाखिल करने का

निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि यदि आरोपों की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को किसी तरह की अवैधता का संकेत देने वाली सामग्री या दस्तावेज मिलते हैं तो वह कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की सीबीआई और ईडी से जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए थे। कर्नाटक निवासी एस. विदेश शिथिर द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर न्यायाधीशों के कक्ष में करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया गया था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता विदेश ने इससे पहले भी याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता के पास दोहरी नागरिकता है। अदालत ने कहा था कि सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामा उसके पहले के आदेश के अनुरूप नहीं है और उसमें गांधी की के वरिष्ठ अधिकारी को राहुल के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच में हुई प्रगति का विस्तृत ब्योरा देते हुए नया हलफनामा व्यक्तिगत रूप से दाखिल करने का

स्वतंत्रता दिवस



स्वतंत्रता दिवस समारोह से पूर्व गुरुवार को झारखंड के धनबाद जिले में इंडियन स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के छात्रों ने अपने चेहरों पर तिरंगे के रंग पेंट करवाए।

संसद के मानसून सत्र में नहीं छंटे गतिरोध के बाद दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच अंत तक सहमति नहीं बन पाई।

सत्र के दौरान ही विपक्षी दलों की आलोचना और विभिन्न परमार्थ संगठनों की मांग के बाद विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन (एफसीआर) विधेयक, 2026 को विस्तृत समीक्षा और संभावित सुझावों के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। लोकसभा में इस सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई को सामान्य माहौल देखने को मिला जब लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर लाभग दस घंटे तक चर्चा हुई। सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे आरंभ होने पर लोकसभा

अध्यक्ष ओम बिरला ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रीय गान के लिए कहा। हालांकि, सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वह अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं।

वंदे मातरम के सभी छह अंतर्ग के गायन की रिकार्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। संसद का वर्तमान मानसून सत्र 20 जुलाई को आरंभ हुआ था। सदन ने नौट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा

(अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' को मंजूरी दी। लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन शामिल करने के लिए लागू हुए इस संशोधन विधेयक पर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

सदन ने राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' को भी द्रमुक समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी।



कावेरी का पानी तमिलनाडु को छोड़े जाने के विरोध में कर्नाटक बंद का मिला-जुला असर

सामान्य रहा। कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के तमिलनाडु को पानी छोड़ने के निर्देशों के विरोध में वाटाल नागराज के नेतृत्व वाले कन्नड़ संगठनों के महासच ने बंद का आह्वान किया है।

प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक सरकार से आग्रह किया है कि वह तमिलनाडु के लिए और पानी नहीं छोड़े क्योंकि राज्य को खुद पीने के पानी और खेती के लिए पानी की जरूरत है। कावेरी आंदोलन के

मुख्य केंद्र मांड्या में किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने संजय सर्कल और अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खाली बर्तन और कुलथी लेकर 'हमारा पानी, हमारा हक' जैसे नारे लगाए और बेंगलूर-मैसूर पुराने राजमार्ग को जाम कर दिया। कुलथी का इस्तेमाल उस वैकल्पिक फसल के प्रतीक के तौर पर किया गया जिसे पानी की कमी के कारण किसान मजबूरन धान की जगह उगाते हैं।

एक प्रदर्शनकारी ने सरकार से अपील की कि "वह तमिलनाडु को पानी की एक बूंद भी न दे" और

सीडब्ल्यूआरसी तथा सीडब्ल्यूएमए के आदेशों से न माने। प्रदर्शनकारियों ने पानी छोड़ने के निर्देशों को किसानों के लिए 'मौत का फरमान' करार दिया और कावेरी विवाद में कर्नाटक के हितों की रक्षा करने में कथित तौर पर 'नाकाम' रहने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की।

मैसूर में बंद का असर अधिकतर प्रदर्शनों तक ही सीमित रहा। उपनगरीय बस अड्डा से बेंगलूर, मंगलूर और राज्य के अन्य हिस्सों के लिए बस सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं।

सुखबीर सिंह बादल कृपाण हमले में घायल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नांदेड़/भाषा। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रमुख एवं पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में कृपाण से किए गए हमले में घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नीलाप रोहन ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "एक निहंग ने गुरुद्वारे के अंदर बादल पर कृपाण से हमला किया।" उन्होंने कहा कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि बादल को तुरंत



अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके दाहिने हाथ में दो-तीन टांके लगाए गए। उन्होंने बताया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि विशेष सुरक्षा इकाई में तैनात पुलिस अधिकारी संतोष केंद्रे बादल को बचाने के प्रयास में घायल

हो गये। बादल पर दोपहर लगभग एक बजकर 45 मिनट पर गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत के अंदर हमला किया गया।

इससे पहले दिन में, बादल अकाली दल की संसद एवं अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ नांदेड़ स्थित तख्त जी हज़ूर साहिब गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बादल पर हुए हमले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने बादल को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सूत्रों ने बताया कि फडणवीस ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से घटना के बारे में जानकारी ली और पुलिस को हमले की वजह की जांच करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे : खरगे

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दोनों नेता देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि सरकार संसद में छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और जवाब के लिए तैयार नहीं हुई, जबकि विपक्ष लगातार इस मांग को उठा रहा था। खरगे ने पार्टी के प्रकोष्ठ 'रचनात्मक कांग्रेस' के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद देश के निर्माण में कांग्रेस और उसके नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा

है। उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली में 23 अग्रेज, 1958 को दो बहों की हावसे में मौत का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने घटना का संज्ञान लिया था और तब विपक्ष में रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिस पर सदन में चर्चा हुई और सरकार ने जवाब दिया। खरगे ने कहा, "आज हजारों बड़े मर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं और बधियों को सड़क पर घसीटा जा रहा है", लेकिन मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार

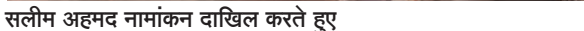
नहीं है। उन्होंने कहा, "यही कांग्रेस और भाजपा में फर्क है।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद के भीते मानसून सत्र के दौरान करीब 20 दिन तक सदन में नहीं आए और बाहर यह कहते रहे कि वे चर्चा के लिए तैयार हैं। शाह के एक बयान का हवाला देते हुए खरगे ने सवाल किया, क्या आपको संसद में अपने कक्ष में बैठने के लिए गृह मंत्री बनाया गया है? उन्होंने आरोप लगाया, "नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे तथा आगे की पीढ़ी के लिए कुछ नहीं रखेंगे।"

राहुल संसद में चर्चा से बचते हैं, विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देते हैं : प्रह्लाद जोशी

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर संसदीय संस्थाओं की कृत्याओं का आरोप लगाया और कहा कि वह सदन में सार्थक चर्चा से बार-बार बचते हैं तथा विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देना पसंद करते हैं। जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की थी, जिस पर सरकार

सहमत भी हो गई थी, लेकिन विपक्ष ने पीछे हटने का विकल्प चुना। जोशी ने 'एक्स' पर कहा, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसदीय संस्थाओं के प्रति लगातार उपेक्षा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मानसून सत्र में व्यवधान उस व्यक्ति के अहंकार को दर्शाता है, जो संसद में सार्थक बहस से बार-बार बचता है और विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देना पसंद करता है। उन्होंने कहा, "95 बार जनता द्वारा नकारे जाने के बावजूद कांग्रेस नेता अपनी बार-बार की विकलताओं से सीखने को तैयार नहीं दिखते।



कांग्रेस के जीएस पाटिल ने विस अध्यक्ष और सलीम अहमद ने विप सभापति के लिए नामांकन दाखिल किया

बैंगलूर। कांग्रेस के पर्यटित विधायक जी. एस. पाटिल ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य सलीम अहमद ने इस सदन के संभाषित के लिए अपने नामांकन दाखिल किया। दोनों पदों के लिए चुनाव 14 अगस्त को निर्धारित हैं। पाटिल ने विधानसभा सचिव एस. के. विशालाक्षी और अहमद ने विधान परिषद सचिव ज्योति को अपने नामांकन पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डी. जे. शिंदेकार, उपमुख्यमंत्री जी. परसेकार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी. के. हरिशाखाकर के अलावा कई नई और निर्वाचित

**शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा की
चौखट पर सिर झुकाकर लोकतांत्रिक
संस्था के प्रति सम्मान प्रकट किया**



कक्षा पांच के छात्र
की सूझ-बूझ से
दक्षिण कन्नड़ के
स्कूल में गंभीर
दुर्घटना टली

मालाङ्ग। दक्षिण कन्नड़ जिले के एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच के एक बच्चे ने अपनी सूझ-बूझ से उस समय एक गंभीर दुर्घटना टाल दी जब मध्याह्न नाश्ता तैयार करने में लगी एक महिला की अंगुली लेडेट्रिक ग्रेटिंग पर लगी में फंस गई और बच्चे ने तुरंत बिजली को काटा। अधिकारियों ने बृहत्पत्तित्वार को बनाया कि यह घटना नारिकोंबु में बुधवार को उस समय घटी जब अक्षरा दसोहा मशीन चला रही थी और उसकी अंगुली मशीन में फंस गई। अक्षरा ने मदद की गुहार लगाई जिससे विद्यार्थी और अन्य लोग उसकी मदद के लिए भागे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, स्कूल परिसर में खेल रहे कक्षा पांच के विद्यार्थी मानवित्थ ने चीख सुनी और यह तुरंत मदद के लिए भागा।

 दक्षिण पश्चिम सेक्टर	
ई-निविदा सूचना सं. बाई/४2/29/ 2026-27/ 65 दिनांक 08.07.2026 ओआरहासरी, भारत के राष्ट्रपतिजी के और से निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करके हैं।	
कार्य का विवरण	अनुमानित मूल्य
1) एम्पलीसी (मानविक) में पीएफ. १, १ को 450 मीटर दूरी बढ़ाना और साथ ही हाई-वेल्ट लेवेलमें और अन्य सुविधाएं बनाना। 2) होलनगर-स्टेशन-असिंके सेक्शन - 104/100-1 पर अनधिकृत आंशिक को बंद करके लिए 11.33 बजाने के लिए विवरण सं. और सीटीसी की सुविधा वाला प्लॉट और बिज (3 मीटर सीटीसी) बनाया। 3) हासन (एचएसए) स्टेशन के लेवेलमें में 1, पर को बंद पानी भरने की मौजूदा व्यवस्था को विकसित करके वाणिज्य सिस्टम में अपग्रेड करना। 4) एरुके (अर्कुरे) में सीएडडब्ल्यू विभाग में सॉलिस कम का निर्माण।	₹9,29,305,541/-
निविदा जमा करने की और निमित्त एवं समय: 28.08.2026 को 11:00 बजे तक	
ई-निविदा सूचना सं. बाई/४2/29/ 2026-27/ 65 दिनांक 08.07.2026	
कार्य का विवरण	अनुमानित मूल्य
दक्षिण पश्चिम सेक्टर के मैसूरु इंडिजा के सॉलिस रेल-कार्गो सेक्शन के सॉलिस बार्नार (बीओआर) और दमनूर (बीओआर) स्टेशन पर संरूलाइज्ड इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग (ईई) सिस्टम लागू करना।	₹222,59,90,88/-
निविदा जमा करने की और निमित्त एवं समय: 31.08.2026 को 11:00 बजे तक	
विवरण के लिए लोअरलिंक https://www.irps.gov.in/	
वरिच संकेत विद्युत आयांत्रां./जी/ PUB/366/AD/360/PBS/SW/2026-27	
आसाम रिजर्व केक्शन, पीएआर स्थिति की जांच और अधिक रेलवे स्थिति की जानकारी के लिए ई-निविदा एवं डाउनलोड करें।	मैसूरु

‘कर्नाटक बंद’ का मिला-जुला असर

- कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को छोड़े जाने का विरोध | बंद के बीच हिरासत में लिए गए कन्नड़ कार्यकर्ता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूर। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का 12,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के विरोध में, कर्नाटक के पिता की पैरोकारी करने वाले कार्यकर्ता वाटाल नागराज के आह्वान पर बृहस्पतिवार को आयोजित कर्नाटक बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। कर्नाटक के मांड्या में जबदस्त विरोध-प्रदर्शन शुरू कर कई जगहों पर सहायतायत लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि बेंगलूर और मैसूर जैसे बड़े शहरी इलाकों में जनजीवन सामान्य रहा, क्योंकि शुरुआत में बंद का समर्थन करने वाले संगठनों ने बाद में समझना वापस ले लिया।

कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने तमिलनाडु को पानी छोड़ने का निर्देश दिया है, जिसके विरोध में नागराज ने नेतृत्व वाले कन्नड़ संगठनों के महासंघ ने बंद का आह्वान किया था। कई कन्नड़ संगठनों के अपना समर्थन वापस लेने के बाद बंद का अवर क हो गया। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया कि प्रयोग शेड्डी

और सा रा गोविंदु समेत कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की और बताया कि वे बंद का आह्वान वापस ले रहे हैं। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, उन्होंने कहा है कि “वे अपना आह्वान वापस ले रहे हैं, जो बहुत खुशी की बात है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और इसके लिए उनका शक्रिया अदा करता हूँ।”

नारायण को विरोध-प्रदर्शनों में शामिल होने से पहले ही बंगलूरु स्थित उनके घर से हड़तालवाहन हिरासत में ले लिया गया। जब उन्होंने बाहर आने से इंकार कर दिया, तो पुलिस ने शहर की डॉलर्स कॉलोनी स्थित उनके घर से उन्हें हिरासत में ले लिया। खबरों के मुताबिक, नारायण को पिएनटीसी-केएसआरपीसी बस स्टैंड से डाउन हॉल और फिर फ्रीडम पार्क तक रैली निकालने की योजना बनाई थी, जहां एक विरोध-प्रदर्शन होना था। प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक सरकार से आग्रह किया है कि वह तमिलनाडु के लिए और पानी नहीं छोड़े, क्योंकि राज्य को खुद पानी के पानी और खेती के लिए पानी की जरूरत है।

कावेरी आंदोलन के मुख्य केंद्र मांड्या में किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने संजय सर्कल और अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खाली बर्तन और कुलथी लेकर "हमारा

पानी, हमारा हक" जैसे नारे लगाए और बेंगलूरू-मैसूरू पुराने राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। कुलथी का इस्तेमाल उस वैकल्पिक फसल के प्रतीक के तौर पर किया गया, जिसे पानी की कमी के कारण किसान मजबूरन धान की जगह उगाते हैं।

एक प्रदर्शनकारी ने सरकार से अपील की कि वह तमिलनाडु को 'पानी की एक बूंद भी न दे' और सीडब्ल्यूआरस तथा सीडब्ल्यूएमए के आदेशों को न माने। प्रदर्शनकारियों ने पानी छोड़ने के निर्देशों को किमानों के लिए 'मौत का फरमान' करार दिया और कावेरी विवाद में कर्नाटक के हितों की रक्षा करने में कथित तौर पर 'नाकाफ' करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री डी वेदेराज उर्स और एस बंगारप्पा की भी जिक्र किया और राज्य सरकार से मांग की कि वह जल बाँटने के निर्देशों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए।

एक प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि कावेरी विवाद पर कानूनी लड़ाई में हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद, अलग-अलग सरकारों ने इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। मैसूरु में बंद का असर अधिकतर विरोध-प्रदर्शनों तक ही सीमित रहा। उपनगरीय

बस अड्डा से बेंगलूर, मंगलूर और राज्य के अन्य हिस्सों के लिए बस सेवाएँ सामान्य रूप से परिचालित हुईं। दुकानों और होटलों में सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह खुले रहे, जबकि ऑटो और टैक्सी भी बिना किसी रुकावट के चलते रहे। पुलिस ने कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जेज्जेन्हेनो उपनगरीय बस अड्डा के पास सरसों को रोकने की कोशिश की थी।

प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के खिलाफ नारे गाए और मांग की कि तमिलनाडु को कावेरी का पानी न दिया जाए। कर्नाटक सेना संगठन के जहाि अध्क्ष तेजस कर्केश गोड़ा ने कहा कि सरकार को कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु के दबाव में नहीं आना चाहिए। गोड़ा ने मांग की कि कर्न सरकार कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मध्यस्थता करे और स्थायी समाधान ढोजने के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों के बैठक बुलाए। उन्होंने कम बारिश वाले र्षों के लिए पानी के बंटवारे का एक सझाजिक फॉर्मूला तैयार करने की मांग की और मुख्यमंत्री शिवकुमार से तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया।

बंगलूर में स्कूल, कॉलेज और वैश्वविद्यालय भी सामान्य रूप से खुले हए। केम्पेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय दरवाई अड्डा

बंद का कोई असर नहीं पड़ा। हासन और अनवर जिनजीवन सामान्य रहा। बस, ओंटोरीओ और पर्वतहम सेवार पूर्ववत् चलाचलत की गई, जबकि दुकारन और अनवर सन्स्थान की खुले रहे। बलारी में बंद का असर बहुत कम दिख। पृथिवी से नकी संगारनारी रखी और गड्ढाई फैलाने की ग्रेनेशियल करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई की चेताना दी। विरोध-प्रदर्शन मुख्य रूप से सफेकित रहने की सम्मीदी थी, क्योंकि संगठनों ने जापान की योजना बनाई थी।

कोपाल में 'कज्जल रक्षण वेदिक' के पर्यवेक्षण-अंशों ने हेमनालना डोलें के पास प्रथम-प्रदर्शन किया। उन्होंने दूकों को चालकों, चालकों को फूल दिए और उनसे बंद और कापेरी आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। बाद में पुलिस ने प्रत्येकताओं को हिरासत में ले लिया। पूरे राज्य में कई संगठनों ने, जिन्होंने शुरू में आंदोलन का समर्थन किया था, बाद में पक्ष छोड़ दिया। वे वैदिक-प्रदर्शनों में भाग लेने वाले हुए केवल नैतिक समर्थन ही थे। कई जिलों में व्यापारियों, होटल मालिकों, आंटी-रिक्शा और टेक्सी चालकों, किसान संगठनों और अन्य समूहों ने कहा कि कापेरी मुद्दे पर उनका समर्थन है, लेकिन बंद इसका समाधान नहीं है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। यहां यलहंका स्थित अधिकार आलोचकों का स्वतंत्र विभागाध्यक्षता में जून 2026 को समाप्त तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन

ने बैठक आयोजित की। मुख्य बिजली व मुख्य राजभाषा/रेषका अजीत कुमार ने बैठक में सभी सदस्यों को संबोधित किया। बैठक में सभी विधायकों ने भाग लिया और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक की समाप्ति का समय हो चुका था। बैठक में रेल पहिया कारखाना के अध्यक्ष श्री. वि. के. शर्मा ने हिंदी में सारांश दिया। अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्धारित कार्य करने का सुझाव दिया। बैठक पर -ख की मंजूरी दी गई। काम करने के लिए निर्देश दिए गए तथा अगली बैठक प्रशस्तरी प्रति की गई।

प्रयोग-प्रसार की
और अधीनस्थ
संस्थाओं को हिंदी
में के अनुरूप काम
दिया। इस अवसर
से हिंदी में सामान्य
बंध में डेमा दिखाए
गए। गिरियों के लिए एक
गेता भी आयोजित

कर्नाटक विधान परिषद में मंत्री यतींद्र सिद्धरामय्या बने सदन के नेता

बैंगलूर। कर्नाटक विधानसभा के मानसुत्तर सत्र की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री को शहरी विकास मंत्री यतींद्र सिद्धरामय्या को नया विधान परिषद में सदस्य का नया नेता नियुक्त किया गया। प्रो-टेन चेयरमैन पुट्टण्णा ने इसकी घोषणा की और यतींद्र सिद्धरामय्या को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। नई जिम्मेदारी साभालने के बाद सदस्य को संबोधित करते हुए यतींद्र सिद्धरामय्या ने कहा कि मंत्री और सदस्य के नेतार के रूप में वह उनकी पहली जिम्मेदारी है और इसका भूमिका में उनका अनुभव सीमित है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों पर मार्गदर्शन देने और गलती उठा देने कहा, मुझे पहली बार मंत्री और सदस्य का नेता नियुक्त किया गया है। चौक में नया अनुभव सीमित है।

सत्ता तथा और विपक्ष दोनों के अनुकूल करता है कि वे किसी को और अपने मुझसे न हो तो उसे धुमांगे।

मे सत्त के दौरान सत्ता मुझसे के सदस्यग और मार्गदर्शन लेता की। उनकी नियुक्ति में मेज स्वागत सदस्यता। यतीन्द्र पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सदस्य सिद्धार्थमा के २०१८ से २०२३ तक विधानसभा क्षेत्र का कर चुके हैं और वर्तमान परिषद के सदस्य हैं।

५ विधानसभा चुनाव मुझसे जिते की वरणा सीट तत्ता सिद्धार्थमा की जीत करुने में महत्वपूर्ण भूमिका निष्ठाक विधान परिषद की तुलना को मानसुत्र सत्र के तहत शुरू महत्वपूर्ण मुझसे संभाषना है।

इससे मैं की शायदी शुरू की. के. विपक्ष ज. परमेश्वर के जय में प्रो जयचंद्र से मुझसे दी।

इसके परमेश्वर ने मुझसे कायल मैं बधाई है। मैं दिवांगत हुए श्रद्धांजलि भी पर चर्चा के अध्यक्ष और येडीसुरामा ने भाजपा नेता को याद किया।

खाद्य सुरक्षा

ने विधानसभा की
ने से पहले मुख्यमंत्री
और उपमुख्यमंत्री
विधानसभा अध्यक्ष के
म स्पीकर टी.बी.
गत कर उन्हें बधाई

उपमुख्यमंत्री जी,
मैंमंत्री शिवकुमार से
मैं मुलाकात कर उन्हें
ध्यानसभा में हाल ही
वरिष्ठ विधायकों को
गई। जो प्रस्ताव
न भाजपा के प्रदेश
विधायक विजयेंद्र
वर्मा जी एवं वरिष्ठ
गौड़ा के योगदान

वाल्मीकि निगम घोटाला : भाजपा अध्यक्ष विजयेन्द्र ने मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग उठाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

[illegible]

विजयेंद्र ने कहा कि नागेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और उन्हें अभी तक आरोपों से बरी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, अगर यह निर्दोष साबित होवे तो हमें उम्मेद मंत्री बनने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप पर इतने गंभीर आरोप हों, तो अपनी जाति का नाम लेकर बचने की कोशिश न करें। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर के परिवार को अभी तक प्रेसट्टी और पेंशन का लाभ नहीं मिला है। हालांकि चंद्रशेखर सुपरिटेण्डेंट थे, लेकिन सरकार ने उनके बेटे को चपरारी की नौकरी दी, जिसे विजयेंद्र ने परिवार का अपमान बताया।

विजयेंद्र ने कहा कि भाजपा विधानसभा के अंदर और बाहर

**खाद्य सुरक्षा संबंधी निरीक्षण में किसी प्रतिष्ठान को छूट नहीं मिलेगी :
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री**

बोलाई। कान्टक के स्वास्थ्य नई यूटी खादर ने बृहस्पतिवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा संबंधी निरीक्षण सभी प्रयोगों में किया जाएगा और इसमें किसी भी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। नंजी ने खादर के साथ एक औषधि शिपमेंट के खाद्य सुरक्षा प्रभाग के अधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न निगमों में की जा रही जांच के बीच यह टिप्पणी की। खादर के निवेश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस और पंजीकरण) अधिनियम, 2011 के प्राधान्यों के अनुपालन की पुष्टि के लिए यह जांच की जा रही है। खादर ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हमें पांच सेसरास होटल रहे, इंदिरा कैनिन हो, आरम्य सोहा हो, विद्यान सोहा हो या कोई अन्य स्थान। हमारे लिए स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है।" नंजी ने कहा कि विभाग प्रशांतों का निरीक्षण करेगा, खासियां बताएंगी और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाएंगे को कहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य किसी को नुकसान नाना नहीं है।

 दक्षिण पश्चिम रेलवे दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए सोशियल मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया एनालिसिस सेवाओं के लिए एजेंसी का चयन	
भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोस्तक्षारी निम्नलिखित कार्य के लिए निर्धारित आवेदन प्रारूप में इच्छुक पार्टियों/एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करते हैं।	
आवेदन आमंत्रण सूचना (एनआईएफ) नं.	जी.सीपीआरओ/एसडब्ल्यूआर/एसएसएमएस/2/2026
कार्य/सेवा का पूरा नाम	दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए सोशियल मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया एनालिसिस सेवाओं के लिए एजेंसी का चयन (दो वर्षों के लिए)
दो वर्षों के लिए सेवा/कार्य की लगभग कुल लागत (जीएसटी छोड़कर)	रु. 5,02,00,000/-
दो वर्षों के लिए सेवा/कार्य की लगभग कुल लागत (जीएसटी के साथ)	रु. 5,92,36,000/-
घरोहर जमा राशि	रु. 4,46,180/-
आवेदन पत्र की कीमत	रु.10,000/- + 18 प्रतिशत जीएसटी= रु. 11,800/- (अ-प्रतिदेय)
आवेदन पत्र डाउनलोड करने की प्रारंभ तिथि	14.08.2026
आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	07.09.2026 को 11:00 बजे तक
आवेदन पत्र खोलने की तिथि एवं समय	07.09.2026 को 11:30 बजे
वेबसाइट पता	www.ireps.gov.in
आवेदन जमा करने के लिए स्थान	आईआईआईएस वेबसाइट ऑनलाइन
PUB/376/IAAD360/PRB/SWR/2026-27	मुख्य जन संपर्क अधिकारी/एसडब्ल्यूआर/हुबचिल
आसान टिकट बुकिंग, पीएनआर स्थिति की जांच और अधिक रेलवे सेवाओं की जानकारी के लिए रेलवेन एप डाउनलोड करें।	
   	



वंचित वर्गों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता के साथ दायित्वों का निर्वहन करते हुए उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू परिवार, जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनके आवास, शिक्षा सहित बुनियादी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री गुरुवार को कांन्टीट्यूशन क्लब में विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू परिवारों को आवास-फ्लैट्स आवंटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जरूरतमंदों एवं वंचितों को संबल प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे अंतिम पायदान के व्यक्ति तक राहत पहुंच रही है।

उन्होंने विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू परिवारों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों और युवाओं को पढ़ाएँ, योग्य बनाएँ और राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही, उन्होंने आमजन से जरूरतमंदों एवं पात्र परिवारों

को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए तत्परता से कार्य करने की अपील की ताकि उनके जीवन में ज्योति फैल सके।

मुख्यमंत्री ने चिन्हित लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से आवंटन पत्र और चाबी सौंपते हुए कहा कि जयपुर में 473 परिवारों को आवास दिए गए हैं। जयसिंहपुरा खोर की आवासीय योजना में लाभार्थियों को एक बेडरूम-हॉल-किचन युक्त आवास मिला है। वहीं, कोटा में 50 फ्लैट और जोधपुर में 80 भूखंड आवंटन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पक्के घर का आवंटन पत्र लाभार्थी परिवारों के सम्मान, सुरक्षा, स्थायित्व और बेहतर भविष्य का अधिकार-पत्र है। राज्य सरकार हर जिले में आवश्यकता का आकलन कर पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की सूची में जोड़ रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में घुमन्तू, अर्द्धघुमन्तू, गाड़िया लोहार एवं कालबेलिया समुदाय के परिवारों को अब तक 838 भूखंड एवं 106 फ्लैट आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री घुमन्तू आवास योजना के अंतर्गत 303 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास के साथ-साथ भूमि के अधिकार की दिशा में भी तेजी से काम किया है। इन समुदायों के परिवारों को कुल 22 हजार 790 पट्टे वितरित किए गए हैं। वहीं, ग्रामीण सेवा शिविरों में अतिरिक्त 15 हजार 412 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमन्तू, अर्द्धघुमन्तू एवं विमुक्त आवासहीन परिवारों एवं बीपीएल परिवारों

को अब तक 2 लाख 67 हजार से अधिक पट्टे जारी कर चुके हैं। इन समुदायों के सशक्तीकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादरूयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदायों की कुल 32 जातियाँ अधिसूचित हैं। इन जातियों को पहचान प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए विशेष शिविर आयोजित कर अब तक कुल 71 हजार से अधिक घुमन्तू पहचान प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सर्वांगीण विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। उनकी 'सबका साथ-सबका विकास' की मूल भावना के अनुरूप गरीब और जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवासहीन परिवारों के घर का सपना पूरा हो रहा है। कार्यक्रम में विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन आलोक गुप्ता, समाजसेवी महेंद्र सिंह राजावत सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण तथा विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू परिवार उपस्थित रहे। वहीं, विधायक अजलू भंसाली, देवेन्द्र जोशी, संदीप शर्मा, कल्पना देवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

कैदी की हत्या के तीन आरोपियों को पकड़ा

जयपुर। पुलिस ने जयपुर में खुली जेल के एक कैदी की हत्या के आरोप में तीन लोगों को पकड़ा है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या करवाई गई। जयपुर के करणी विहार में धावास रोड पर बुधवार शाम खुली जेल के कैदी गंगासहाय कुमावत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंगासहाय को महेंद्र गुर्जर की हत्या के मामले में जेल हुई थी और वह सांगानेर खुली जेल में सजा काट रहा था।

पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि कल की घटना के बाद सीसीटीवी कैमरों की जांच व संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर तीन आरोपियों को पकड़ा गया। इनसे पूछताछ में सामने आया कि महेंद्र गुर्जर का बेटा आशु अपने दोस्त सोनू रजक व अमित राणा को गंगासहाय की हत्या की सुपारी देकर खुद नेपाल चला गया। बुधवार को सोनू रजक व अमित राणा ने गंगासहाय की रेकी कर हत्या की और मौके से फरार हो गये।

पूर्व जिला न्यायाधीश को 'डिजिटल अरेस्ट' कर साइबर अपराधियों ने 2.5 करोड़ रुपये ठगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। साइबर अपराधियों ने जयपुर के एक पूर्व जिला न्यायाधीश से कथित तौर पर 2.50 करोड़ रुपये ठग लिये। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, इन साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी और रिजर्व बैंक का प्रबंधक बनकर 90 वर्षीय पूर्व न्यायाधीश को करीब 15 दिनों तक 'डिजिटल अरेस्ट' रखा। पुलिस के अनुसार, यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब एसबीआई के एक प्रबंधक की सतर्कता ने पीड़ित को अपने भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते से पैसे हस्तांतरित करने से रोक दिया। इसके बाद बुधवार शाम जयपुर के ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज किया गया।

पीड़ित के भांजे रविंद्र सिंह मोहनोत की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, गणपत सिंह भंडारी को 28 जुलाई को एक

अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। पुलिस की वर्री पहने कॉलर ने कथित तौर पर खुद को मुंबई का सीबीआई अधिकारी बताया और भंडारी से कहा कि 50 करोड़ रुपये का हवाला लेनेदेन पकड़ा गया है जिसमें से 40 लाख रुपये कथित तौर पर पीड़ित से कटा के उनके खाते में जमा किए गए थे।

पुलिस ने बताया कि ठग ने उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी और परिवार के सदस्यों को इस बारे में न बताने की चेतावनी दी। बाद में, एक अन्य व्यक्ति ने इसी पैप पर भंडारी से संपर्क किया और खुद को रिजर्व बैंक का प्रबंधक बताया। उसने कथित तौर पर पीड़ित से कहा कि हवाला लेनेदेन से जुड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया है और उनसे उनके वित्तीय निवेश की जानकारी मांगी। डर और दबाव में आकर पीड़ित ने कथित तौर पर अपने म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जानकारी कॉल करने वालों के साथ साझा की। इसके बाद ठगों ने जांच में मदद के

बहाने उन्हें अलग-अलग बैंक खातों में पैसे डालने के लिए कहा। शिकायत के अनुसार, भंडारी ने तीन से 10 अगस्त के बीच गांधी नगर स्थित अपने एसबीआई खाते से 2,50,51,000 रुपये हस्तांतरित किए। बाद में ठगों ने भंडारी से अपने पीपीएफ खाते से भी पैसे निकालने को कहा। जब यह बुधवार को इस लेनदेन के लिए एसबीआई की जौहरी बाजार शाखा पहुंचे तो बैंक प्रबंधक को शक हुआ और उन्होंने इस लेन-देन को रोक दिया।

प्रबंधक ने भंडारी से पूछताछ की और उन्हें बताया कि ऐसा लगता है कि यह साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। इसके बाद पीड़ित ने अपने भांजे से संपर्क किया जिन्होंने ज्योति नगर थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।

मंत्री ने सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर अपना धरना सीएमओ के हस्तक्षेप के बाद समाप्त किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने में कथित देरी के मुद्दे पर उनके समर्थन में अपना धरना मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के हस्तक्षेप के बाद समाप्त कर दिया। इससे पहले, शर्मा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर बुधवार को अलवर नगर निगम कार्यालय परिसर में कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ गए थे। मंत्री ने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित देरी को लेकर जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त के प्रति कड़ी नाराजगी जतायी थी।

वहीं, राज्य के कांग्रेस नेताओं ने इस घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भाजपा शासन में प्रशासनिक तंत्र के पूरी तरह चरमरा जाने का सबूत है। हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय के दखल के बाद अधिकारी हस्तगत में आए और पांच उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए और साथ ही बाकी आवेदनों पर फैसला लेने के लिए तीन सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इसके बाद शर्मा ने धरना

खत्म कर दिया। इससे पहले सुबह शर्मा ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2012 की भर्ती प्रक्रिया के तहत सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए थे। इसके बाद नगर निगम ने नियुक्तिपत्र जारी करने के संबंध में स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक से मार्गदर्शन मांगा था।

शर्मा ने बताया कि कई महीनों की बातचीत और प्रक्रिया के बाद अधिकारियों ने 69 अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र देने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया रोक दी गई। उन्होंने कहा कि बुधवार सुबह वालीमकी समुदाय के कुछ सदस्य उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें बताया कि अधिकारियों ने नियुक्तिपत्र देने से इनकार कर दिया है।

शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, मैंने जिलाधिकारी से बात की, लेकिन उनका रवैया नकारात्मक था। वह अपने रुख पर अड़ी हुई थीं और मामले को सुलझाने के लिए तैयार नहीं थीं। इसलिए मैं नगर निगम कार्यालय आया और समुदाय के सदस्यों के साथ धरने पर बैठ गया। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इस मामले की जानकारी दी है। जिलाधिकारी अजितका शुक्ला से इस संबंध में बात नहीं हो सकी।

बाद में, सरकार के इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाने और योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश देने के बाद शर्मा ने धरना खत्म कर दिया। शर्मा ने कहा कि आज पांच उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए क्योंकि उनकी फाइलें पहले से ही तैयार थीं और अन्य पात्र उम्मीदवारों को भी जल्द ही पत्र जारी किए जाएंगे।

इस बीच कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारसरा ने कहा, अगर मंत्री अपनी ही सरकार के घोटालों के खिलाफ धरने पर बैठ जाएं, तो सोचिए...सरकार में भाजपाई भ्रष्टाचार का आलम क्या है। डोटारसरा ने कहा, जब मंत्री स्वयं नौकरशाही पर बेईमानी, लूट-खसोट और मनमानी करने जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो सोचिए अराजकता की स्थिति कितनी भयावह है। उन्होंने कहा कि अलवर में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर वन मंत्री संजय शर्मा का धरने पर बैठना और जिलाधिकारी व नगर निगम आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाना भाजपा सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

डोटारसरा ने कटाक्ष करते हुए कहा, जनता सब देख रही है और

ढाई साल बाद इस अराजक और भ्रष्ट व्यवस्था की विदाई तय है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने भी इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार की असलियत अलवर में खुलकर सामने आ गई है। सफाई कर्मचारियों को नियुक्तिपत्र तक नहीं मिल रहे और खुद राज्यमंत्री संजय शर्मा को अपनी ही सरकार के नगर निगम के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। यह भाजपा शासन में प्रशासनिक तंत्र के पूरी तरह चरमरा जाने का सबूत है। उन्होंने कहा, जिलाधिकारी से बात करने के बावजूद जब अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो मंत्री को खुद सड़क पर बैठकर आंदोलन करना पड़ा। यह दिखाता है कि भाजपा राज में मंत्री सिर्फ नाम के हैं, जबकि असली फैसले नौकरशाही की मर्जी से होते हैं।' जुली ने कहा, जिस सरकार का अपना मंत्री ही न्याय के लिए भटकता फिरे, वह गरीब सफाई कर्मचारियों और आम जनता को क्या ईसाफ देगी? राज्य सरकार के कामकाज को मुख्य करके हुए उन्होंने कहा, यह सरकार नहीं चल रही, बल्कि अफसरशाही के भरोसे लड़खड़ा रही है। भाजपा को यह हवाचना चाहिए कि जब उसका अपना मंत्री ही व्यवस्था से त्रस्त है।

भारत विभाजन पीड़ादायक अध्याय : वासुदेव देवनानी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस (14 अगस्त) को राष्ट्र की विकास यात्रा का पीड़ादायक अध्याय बताते हुए इससे सबक लेकर अधिक मजबूती और एकता से देशभक्ति की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले लोगों तथा उस कठिन दौर में पीड़ा और विस्थापन झेलने वाले परिवारों का स्मरण करते हुए कहा कि भारत का विभाजन इतिहास का अत्यंत पीड़ादायक है। विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपना घर, परिवार



और अपनी जन्मभूमि छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। असंख्य लोगों ने हिंसा और बिछोह की पीड़ा सहन की। यह दिवस हमें उस दौर की पीड़ा को स्मरण करने के साथ-साथ देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को और मजबूत करने की प्रेरणा देता है। देवनानी ने कहा कि विभाजन की त्रासदी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि नफरत, हिंसा और वैमनस्य किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं हो सकते। भारत की शक्ति उसकी विविधता में एकता, आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत में निहित है। राजस्थान ने विभाजन के समय विस्थापित होकर आए

लोगों को अपनाया और उन्हें नए जीवन की शुरुआत करने में सहयोग दिया। यह हमारी उस महान संस्कृति का परिचायक है, जिसमें मानवता, सह-अस्तित्व और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का भाव सर्वोपरि रहा है। इतिहास से सीखें, भविष्य को उज्ज्वल बनायें।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का उद्देश्य अतीत की पीड़ा को स्मरण कर समाज में वैमनस्य उत्पन्न करना नहीं बल्कि इतिहास से सीख लेकर भविष्य को अधिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और एकजुट बनाना है। उन्होंने कहा कि हमें आने वाली

पीढ़ियों को विभाजन की त्रासदी के कारणों और उसके परिणामों से अवगत कराते हुए उनमें देश की एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करनी चाहिए। देवनानी ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे विभाजन की पीड़ा को स्मरण करते हुए सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और आपसी सम्मान की भावना को मजबूत करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हम सभी मिलकर ऐसा भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ें, जहां विविधताओं के बीच एकता कायम रहे और आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त, शांतिपूर्ण, समरस एवं एकजुट राष्ट्र मिले।

नकाबपोश बदमाशों ने खुली जेल के कैदी की गोली मारकर हत्या की

जयपुर।जयपुर के करणी विहार में धावास रोड पर बुधवार शाम मोटरसाइकिल पर सवार खुली जेल के एक कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि स्कूटी पर सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने कैदी पर तीन गोलियां चलायीं। इनमें से एक गोली हेलमेट को भेदते हुए कैदी के सिर में जा लगी, जिससे वह मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद शहर में ए-श्रेणी की नाकाबंदी कराई गयी है, लेकिन देर रात तक बदमाशों का सुराग नहीं लग सका। पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि मृतक की पहचान धावास निवासी गंगासहाय कुमावत के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि गंगासहाय को 2018 में मोती झूंरी क्षेत्र के गणेश नगर निवासी महेंद्र गुर्जर की हत्या के मामले में जेल की सजा सुनायी गयी थी। वर्तमान में वह सांगानेर खुली जेल में सजा काट रहा था। प्रशांत ने बताया कि गंगासहाय बुधवार को अपने परिवार से मिलने के लिए खुली जेल से धावास स्थित अपने घर आया था। शाम करीब पाँचे छह बजे वह मोटरसाइकिल से लौट रहा था। घर से करीब दो किलोमीटर दूर पहुंचते ही उसका पीछा कर रहे स्कूटी सवार बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया।



‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत निकाली भव्य तिरंगा रैली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत राजस्थान ललित कला अकादमी तथा राजस्थान सिंधी अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत एक विशाल तिरंगा रैली से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने हाथों में राष्ट्रध्वज थामकर देशप्रेम का

संदेश दिया। इस अवसर पर राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा परिसर में एक विशेष कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें 100 से अधिक स्कूली व कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा 'हर घर तिरंगा' थीम पर तैयार की गई उल्कृष्ट पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया। युवाओं की इन पेंटिंग्स में देश की अखंडता, संप्रभुता और तिरंगे के प्रति अगाध श्रद्धा स्पष्ट झलक रही थी।

कार्यक्रम में समाजीकरण और समावेशी कला को बढ़ावा देते हुए 'प्रयास' संस्था के विशेष बच्चों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। संस्था

के बच्चों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीतों और नृत्य पर अपनी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देकर वहां मौजूद सभी दर्शकों को भावविभोर कर दिया और तालियों की गड़गड़ाहट बटोरी। इस संयुक्त आयोजन ने न केवल राष्ट्रीय पर्व के उत्साह को दोगुना किया, बल्कि कला, संस्कृति और सामाजिक सहभागिता का एक अनूठा उदाहरण भी पेश किया। कार्यक्रम के अंत में भाग लेने वाले सभी बाल कलाकारों व विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित अनेक इलाकों में भारी बारिश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत राज्य के कई इलाकों में मानसून के सक्रिय रहने के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान रोश्दार बारिश हुई और मौसम विभाग बृहस्पतिवार को भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के जयपुर केंद्र अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह तक पिछले 24 घंटे में भीलवाड़ा, सलूबर और उदयपुर जिलों में भारी से अति भारी बारिश हुई। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झुंगरपुर, करौली, अजमेर, व्यावर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में भी भारी बारिश दर्ज की गई। इसने कहा कि सबसे अधिक 14.5 मिलीमीटर बारिश मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, 13 अगस्त को भी जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

हालांकि, 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभागों के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। वहीं, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसी तरह, 15 अगस्त से राज्य के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने का अनुमान है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026, विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण तथा लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को व्यवस्थित रूप देने के लिए राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल-2026 के प्रारूप का अनुमोदन, ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति ढांचे को मजबूत बनाने के लिए संचालन एवं संधारण नीति लाने सहित सैनिक कल्याण एवं कर्मिक कल्याण से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल और उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्वोई ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पर्यावरण एवं जल विविधता के संरक्षण की दिशा में 'द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026' आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

खेजड़ी सहित 29 प्रजातियों के वृक्षों के संरक्षण के लिए बनेगा कानून : पटेल

कैबिनेट द्वारा इस महत्वपूर्ण विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, कैर और अन्य प्राचीन सहित कुल 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संवर्धन एवं संरक्षण को विशेष बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण एवं आदिवासी जनजीवन में इन वृक्षों के विशेष महत्व को देखते हुए विधेयक में गैर वन भूमि में खड़े वृक्षों की कटाई को नियंत्रित करने तथा जवाबदेही निर्धारित करने हेतु ऐसे अपराधों को संज्ञेय एवं जमानती बनाया गया है। दोष सिद्ध पाये जाने पर एक वर्ष का कारावास या एक लाख रुपये जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वाभिव वाली या कब्जे वाली भूमि पर खड़े किसी भी वृक्ष को अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं काटेगा और न ही काटने का कारण बनेगा। यदि कोई व्यक्ति अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति से किसी वृक्ष को काटता अथवा हटाता है तो प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर उसी क्षेत्र में निर्धारित संख्या में वृक्षों का रोपण होगा। इन वृक्षों के प्रभावी संरक्षण से आदिवासी एवं मध्यस्थलीय अंचल के निवासियों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप 'द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) विधेयक-2026' के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसे अब विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में विवाह, विवाह विच्छेद (तलाक), उत्तराधिकार, भरण-पोषण तथा लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप देना है। इस विधेयक के प्रावधान अनुसूचित जातजातियों पर लागू नहीं होंगे। संविधान के तहत संरक्षित पारंपरिक अधिकारों वाले वर्गों को भी इससे बाहर रखा गया है।

उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की शिफारिशों के आधार पर यह प्रारूप तैयार किया गया है।

इसके प्रावधानों के अनुसार विवाह पंजीकरण अनिवार्य एवं बहुविवाह निषेध किया गया है। सभी धर्मों और समुदायों की अपनी-अपनी परंपराओं एवं रीतियों (जैसे- सप्तमी, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन आदि) के अनुसार विवाह संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी।



सुविचार

अच्छे विचार जीवन बदल देते हैं। मन को सकारात्मक रखें, दूसरों में अच्छाई देखें, मुस्कान बांटें, खुशियाँ बढ़ती जाएँगी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

प्लास्टिक नोटों से बनाएँ आत्मनिर्भर भारत

केंद्र सरकार ने 10 और 20 रुपए के एक अरब प्लास्टिक बैंक नोटों की शुरुआत के लिए मंजूरी देकर भारतीय मुद्रा के नए युग की शुरुआत कर दी है। इन नोटों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। बारिश, पसीना और गीले हाथों के संपर्क में आने से, कागज के नोटों की गुणवत्ता घटने लगती है। उनकी औसत उम्र कम हो जाती है। ऐसे नोटों के कारण कई बार विवाद भी हो जाते हैं। प्लास्टिक नोट ज्यादा टिकाऊ होंगे। उन पर पानी और नमी का असर कम पड़ेगा। अब देशवासियों को प्लास्टिक नोटों का इंतजार है। इनकी छपाई में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नकली नोटों के सौदागर अपनी कोशिशों में कामयाब न हो जाएं। वैसे तो उनकी नजर 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोटों पर ही ज्यादा रहती है, क्योंकि बड़े नोटों को खपाने में मुनाफा ज्यादा होता है। यह छोटे नोटों में कम होता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़े पैमाने पर भारत के नकली नोट छापती है। उसने बांग्लादेश, नेपाल समेत कई देशों में अपना जाल फैला रखा है, जहां से नकली नोटों का कपट धंधा चलता है। भारत सरकार की उक्त घोषणा से आईएसआई की बेचैनी यकीनन बढ़ गई होगी, क्योंकि उसने अब तक कागज, रसाई और मशीनों पर जो 'निवेश' किया है, उस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उसे यह भी आशंका होगी कि भविष्य में इस पहल का विस्तरा बड़े नोटों तक किया गया तो खुफिया एजेंसी को भारी नुकसान हो सकता है।

प्लास्टिक नोटों पर ऐसे चित्र छापे जाएं, जो भारत के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान प्रगति को दर्शाएं। इन नोटों को देखकर लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचना चाहिए। अखंड भारत कैसा था, उसकी भौगोलिक सीमाएं कहाँ तक थीं, स्वतंत्रता आंदोलन के नायक कौन थे, हमारा संविधान कैसे बना, देश ने शिक्षा और शोध में कौनसे कीर्तिमान रचे, विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की उपलब्धियाँ क्या हैं, देश में कितनी तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी उज्ज्वल संभावनाएं हैं, भारतीय सैनिकों ने विभिन्न युद्धों में किस तरह वीरता एवं पराक्रम का प्रदर्शन किया था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयरस्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों का किस तरह खाल्टा किया गया था, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौनसे हैं, हमें चुनौतीपूर्ण समय में किस तरह एकजुट रहना चाहिए – इनकी झलक नोटों पर दिखनी चाहिए। अब सवाल है— नोटों पर जगह सीमित होती है। वहां इतनी बातें कैसे आएंगी? इसका तरीका है— क्यूआर कोड। विभिन्न नोटों पर एक-एक क्यूआर कोड दिया जा सकता है, जिसे स्कैन करने पर यह जानकारी प्राप्त हो। इन नोटों के साथ एक रोचक व अत्यंत उपयोगी प्रयोग किया जा सकता है। क्यूआर कोड में कई तरह के कौशल की जानकारी दी जा सकती है। उदाहरण के लिए: कम निवेश के साथ कौनसा काम शुरू करें, किस राज्य में कौनसे काम के लिए ज्यादा संभावनाएं हैं, सिर्फ तीन महीने, छह महीने और एक साल का प्रशिक्षण लेकर कौनसा काम शुरू कर सकते हैं – यह जानकारी क्यूआर कोड में शामिल कर सकते हैं। ये नोट बेरोजगारी, गरीबी और अभावों से लड़ने में मजबूत हथियार साबित हो सकते हैं। इन पर संस्कृत, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम और सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से जुड़ी प्रश्नोत्तरी दे सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा। जब लोगों को मालूम होगा कि इन क्यूआर कोड में जान का भंडारा है तो उन्हें हर नोट में अपनी और देश की उन्नति का संदेशवाहक नजर आएगा। इस काम में मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन पूरे देश को दशकों तक फायदा होगा।

ट्वीटर टॉक



नेक महिला अहिल्याबाई होल्कर जी ने अपने राज में किसानों, कारीगरों, व्यापारियों और आम नागरिकों के हितों को सबसे पहले रखा, खेती और लोकल इकोनमी को भी बढ़ावा दिया। उनका राज आज भी लोगों की भलाई और लोगों की सेवा का एक प्रेरणा देने वाला उदाहरण है।

—ओम बिरला

वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पर, आइए हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने में सक्रिय लें। ऑर्गन डोनेशन किसी जरूरतमंद को ज़िंदगी की नई उम्मीद दे सकता है। आइए, जान बचाने के इस नेक काम का हिस्सा बनें।

—अशोक गहलोत



संसद में गूंजा 'वंदे मातरम्', 1.4 अरब भारतीयों के दिलों में गूंज रहा है। इतिहास के पन्नों से निकलकर लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंची यह अपर धुन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, देश के गौरव और एक खुशहाल 'विकसित भारत' में विश्वास का एक अनोखा संगम है।

—भजनलाल शर्मा

प्रेरक प्रसंग

मौत से मजाक

रहा अगस्त की ब्रह्मवेला में खुदीराम बोस को फांसी लगनी थी। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया था। जेल के अधीक्षक को खुदीराम से सहानुभूति थी। खुदीराम बोस, बुजुर्ग जेल अधीक्षक को आदर से बाबा कहकर पुकारता था। दस अगस्त की रात को जब जेल अधीक्षक खुदीराम के पास गये, तब वह व्यायाम कर रहा था। सत्रह-अठारह बरस की खिलती तरुणाई थी। शरीर पसीने से तर था। एक दिन बाद फांसी पर चढ़ना था और एक दिन पूर्व वह व्यायाम कर रहा था। अधीक्षक अपने साथ घूमने वाले रसीले आम लेकर आये थे। 'बेटे, ये कुछ आम हैं, इन्हें खा लेना।' खुदीराम बोस की स्वीकृति पाकर अधीक्षक ने आम रख दिये। ग्यारह अगस्त की ब्रह्मवेला से पूर्व दो बजे जेलर साहब पुनः कमरे में आये। खुदीराम बोस व्यायाम करके, नहा-धोकर पूजा-पाठ से निवृत्त हो तैयार बैठा था। जेलर ने देखा कि आम ज्यों के त्यों रखे हैं। 'बेटे तुमने आम नहीं खुरे?' 'जिसे बराबर फांसी का फंदा सामने नजर आ रहा हो, उसे आम खाना सुझता है?' 'रोनी सूखत बनाकर खुदीराम ने विकल स्वर में उत्तर दिया। जेलर ने दृ:खी होकर सिपाही से कहा, 'आम उठाकर किसी और को दे देना।' सिपाही आम उठाते लगा, 'अरे! यह क्या सारे पिचक गये।'

बेंगलूरु | शुक्रवार | 14-08-2026



www.dakshinbharat.com



/dakshinbharat



/dakshinbharat

DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY

सामयिक

जब संसदीय मर्यादाएँ हुईं तार-तार

बाल मुकुन्द ओझा

मोबाइल : 8949519406

संसद का मानसून सत्र लोकतंत्र के लिए काफी शर्मनाक साबित हुआ है। सियासत ने लोकतान्त्रिक परम्पराओं और मर्यादाओं को तार तार कर दिया। जनता के मुँदे उठाने की बजाय कार्यवाही ठप्प करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। संसद में गतिरोध कोई नयी बात नहीं है मगर अब इतिहा हो गयी है। जड़ता टूटनी ही चाहिए। नेताओं को अपने लाभ हानि की बजाय जनता के कल्याण की सोचनी चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में संसद ही सर्वोच्च है। हमारे माननीय संसद सदस्य इस सर्वोच्चता का अहसास कराने का कोई मौका भी नहीं चूकते, पर खुद इस सर्वोच्चता से जुड़ी जिम्मेदारी-जवाबदेही का अहसास करने को तैयार नहीं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर बेहद निराशाजनक ही नहीं, खिंताजनक भी है, लेकिन संसद ठप रहने की बढ़ती प्रवृत्ति भी कम खतरनाक नहीं है। संसद का मानसून सत्र अपने कामकाज के बजाय हंगामे के लिए ही समाचार माध्यमों में सुर्खियाँ बनता रहा है। अगर हम संसद की घटती बैठकों के मद्देनजर देखें तो सत्र के दौरान बढ़ता हंगामा और बाधित कार्यवाही हमारे माननीय सांसदों और उनके राजनीतिक दलों के नेतृत्व की लोकतंत्र में आस्था पर ही सवालिया निशान लगा देती है। संसद की सर्वोच्चता का स्पष्ट अर्थ यह भी है कि वह देश हित-जनहित में कानून बनाने के अलावा सरकार के कामकाज की कड़ी निगरानी और समीक्षा भी करे, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का हाल यह है कि महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा ही पारित हो रहे हैं।

20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र बिना किसी सार्थक बहस और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के बिना हंगामे की भेंट चढ़ गया। गुरुवार को हंगामे के बाद दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गए। इससे पूर्व हंगामे के बीच ही एंटी पेपर लीक बिल सहित 19 विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गए हैं। जनता के खून पसीने की कमाई हंगामे पर



स्पीकर कहते हैं सदन आपका है, सबका है और देश भी चाहता है कि संसद चले। स्पीकर विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि हर विषय, हर मुद्दे पर नियम-प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा मगर स्पीकर की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं होता और संसद बिना कोई विधि सम्मत कार्यवाही के हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान शायद ही संसद का कोई सत्र ऐसा रहा हो, जिसका आधे से ज्यादा समय हंगामे में जाया न हुआ हो। संसद में बार-बार ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि सदन के अहम सत्र हंगामे की भेंट क्यों चढ़ जाते हैं। भारतीय राजनीति में विपक्ष का अर्थ, जो सत्ता में नहीं है, से है। विपक्ष के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्वस्थ विपक्ष का कार्य सरकार की सकारात्मक तरीके से आलोचना करना होना चाहिए। स्वस्थ विपक्ष के रूप में विपक्ष को जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर सरकार की आलोचना व बहस करना चाहिए।

सवाहा हो रही है। बताया जा रहा है सदन चलाने में डेढ़ करोड़ रुपये प्रति घंटा खर्च होता है। एक-एक मिनट का ढाई लाख रुपया खर्च होता है। एक दिन में 9 करोड़ खर्च होता है।

संसद के मौजूदा सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध चरम पर पहुंच गया है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हंगामे की

राजनीति नई नहीं है। संसद के सदनों में दशकों से यह समस्या रही है। पिछले कई सालों की संसद की कार्यवाही पर नजर डालें तो देखेंगे हर सत्र शुरू होते ही विपक्ष अपने कुछ मुद्दों पर कार्यवाही रोककर सबसे पहले चर्चा करने पर अड़ जाता है और अध्यक्ष या सभापति संसद को नियमानुसार चलाने पर जोर देते हैं। यहीं से

पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं और संसद ठप्प हो जाती है। स्पीकर कहते हैं सदन आपका है, सबका है और देश भी चाहता है कि संसद चले। स्पीकर विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि हर विषय, हर मुद्दे पर नियम-प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा मगर स्पीकर की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं होता और संसद बिना कोई विधि सम्मत कार्यवाही के हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान शायद ही संसद का कोई सत्र ऐसा रहा हो, जिसका आधे से ज्यादा समय हंगामे में जाया न हुआ हो। संसद में बार-बार ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि सदन के अहम सत्र हंगामे की भेंट क्यों चढ़ जाते हैं। भारतीय राजनीति में विपक्ष का अर्थ, जो सत्ता में नहीं है, से है। विपक्ष के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्वस्थ विपक्ष का कार्य सरकार की सकारात्मक तरीके से आलोचना करना होना चाहिए। स्वस्थ विपक्ष के रूप में विपक्ष को जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर सरकार की आलोचना व बहस करना चाहिए।

1967 से पूर्व देश में सत्ता और विपक्ष में आलोचना के बावजूद आपसी सम्बन्ध बहुत मधुर थे। उस दौरान सत्ता पक्ष बहुत मजबूत था और विपक्ष बिखरे हुए। इसके बाद भी विपक्ष बहुत प्रभावी था। लोहिया से लेकर मधु लिमये, ए के गोपालन , हरेन मुखर्जी, कृपलानी, राजाजी, नम्बूरपिपाद भूपेश गुप्ता, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, लालकृष्ण आडवाणी, मीनू मसानी, नाथपई, पीलू मोदी, जॉर्ज फर्नांडीज, एनजी रंगा, ज्योतिर्मय बसु सरीखे विरोध पक्ष के नेताओं से सत्ता पक्ष थरता था। लोहिया प. नेहरू के सबसे बड़े आलोचक थे मगर दोनों के मित्रवत संबंधों पर कभी कोई आंच नहीं आयी। आज सत्ता और विपक्ष के आपसी सम्बन्ध इतने खराब हो गए हैं की आपसी बात तो दूर एक दूसरे को फूटी आँख भी नहीं सुहाते। दुआ सलाम और अधिवादन भी नहीं करते। लोकतंत्र की सफलता पक्ष और विपक्ष की मजबूती में है। लोकतंत्र तभी सुदृढ़ होगा जब राष्ट्रीय हितों के मामलों में दोनों की एक राय हो।

नजरिया

विदेशी चंदे पर नियंत्रण और संतुलन की अपेक्षा

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

12 अगस्त 2026 का दिन भारतीय संसद के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 यानी एफसीआरए विधेयक को लोकसभा ने 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति- जेपीसी के पास भेज दिया। यह फैसला केवल एक विधेयक को संसदीय प्रक्रिया के अगले चरण में भेजना नहीं है, बल्कि उस व्यापक बहस का अवसर है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी धन की पारदर्शिता, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की स्वायत्तता, नागरिक समाज की भूमिका और लोकतान्त्रिक अधिकार-सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। विधेयक को जेपीसी के पास भेजे जाने से सरकार और विपक्ष के बीच तत्काल टकराव को कुछ हद तक विमर्श में बदलने का अवसर मिला है। एफसीआरए का इतिहास भी इस बहस की गंभीरता को समझने में मदद करता है। विदेशी धन के माध्यम से देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर बाहरी प्रभाव की आशंकाओं को देखते हुए 19५6 में पहली बार कानून बनाया गया था। वर्ष 2010 में इसे नए एफसीआरए कानून से प्रतिस्थापित किया गया और उसके बाद 2020 सहित विभिन्न चरणों में इसके प्राधान्य अधिक कठोर होते गए। आज यह कानून केवल विदेशी चंदे की प्रति और उसके उपयोग का लेखा-जोखा रखने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े विमर्श का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

आंकड़े इस विषय की व्यापकता बताते हैं। पीआरएफ के अनुसार 15 जुलाई 2026 तक 14,449 एफसीआरए प्रमाणपत्र सक्रिय थे, जबकि 22,498 रद्द और 15,212 समाप्त माने गए। 2019 से 2022 के बीच 13,520 संपतनों को लगभग 55.77 करोड़ रुपये का विदेशी अंशदान मिला। इन आंकड़ों को देखकर यह सवाल स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग कहाँ, किस उद्देश्य से और किस स्तर की निगरानी के साथ हुआ? लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न भी उठना ही महत्वपूर्ण है-क्या किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो जाना अपने आप में किसी वित्तीय या आपराधिक अनियमितता का प्रमाण माना जा सकता है? सरकार के अपने स्पष्टीकरण के अनुसार भी पंजीकरण समाप्त होने के कई कारण हो सकते हैं और हर समाप्ति को गलत काम से जोड़ना उचित नहीं है। यहीं से प्रस्तावित संशोधन का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। विधेयक में नामित प्राधिकरण' की व्यवस्था प्रस्तावित है। यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो जाता है, यह स्वयं पंजीकरण छोड़ देती है या उसका प्रमाणपत्र नवीनीकरण न होने के कारण समाप्त हो जाता है, तो विदेशी अंशदान और उससे निर्मित संपत्तियाँ



पहले अस्थायी रूप से इस प्राधिकरण के अधीन आ सकती हैं। यदि निर्धारित अवधि में पंजीकरण बहाल नहीं होता तो संपत्तियाँ स्थायी रूप से निहित की जा सकती हैं तथा उन्हें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग या बेचने का प्रावधान है। बिक्री से प्राप्त राशि और अप्रयुक्त विदेशी अंशदान को पारदर्शी, उत्तरदायी और वैध उद्देश्यों तक सीमित रखना-न तो अनुचित है और न ही लोकतान्त्रिक विरोधी। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता और प्रशासनिक शक्ति के विस्तार के बीच एक स्पष्ट रेखा भी होनी चाहिए। यह इस विधेयक की असली परीक्षा है। यदि किसी संस्था ने विदेशी धन का इस्तेमाल आतंकवाद, हिंसा, अलगाववाद, जबरन या प्रलोभन आधारित धर्मांतरण, राजनीतिक अस्थिरता अथवा भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में किया है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रहित में ऐसी कठोरता आवश्यक है। मगर दूसरी ओर यदि कोई संस्था अस्पताल चला रही है, गरीबों के लिए शिक्षा उपलब्ध करा रही है, पर्यावरण संरक्षण कर रही है, महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रही है अथवा प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचा रही है, तो केवल तकनीकी या प्रक्रियागत चूक के कारण उसके वर्षों के सामाजिक कार्य और विदेशी अंशदान से निर्मित परिसंपत्तियों पर तत्काल सरकारी नियंत्रण स्थापित हो जाना खिंता का विषय बन सकता है। यही कारण है कि जेपीसी के पास जाना इस विधेयक के लिए एक सकारात्मक अवसर है। संसद में बहुमत से कानून पारित करना

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जिन कानूनों का प्रभाव हजारों संस्थाओं, लाखों लाभार्थियों और देश के व्यापक नागरिक समाज पर पड़ता हो, उनकी बारीकी से जांच लोकतंत्र को मजबूत रखती है। जेपीसी में विपक्ष अपनी आपत्तियाँ व्यक्त सकता है, सरकार अपने तर्क स्पष्ट कर सकती है और विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, वित्तीय विशेषज्ञों तथा सुरक्षा एजेंसियों के अनुभवों का भी सामने लाया जा सकता है।

सरकार ने यह भी बताया है कि पंजीकरण बहाल होने पर अस्थायी रूप से निहित संपत्तियाँ और अप्रयुक्त धन वापस किए जाएंगे। ये प्रावधान स्वागत योग्य हैं, लेकिन सवाल यह रहेगा कि इन अधिकारों की वास्तविक स्वतंत्रता और प्रक्रिया कितनी प्रभावी होगी। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन नवीनीकरण से जुड़ा है। 2026 के नियमों में पिछले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपये विदेशी अंशदान के उपयोग को सक्रिय संस्था की पहचान के रूप में रखा गया है। साथ ही गतिविधि और राज्य-विशिष्ट पंजीकरण तथा अधिक विस्तृत उपयोग संबंधी जानकारी देने की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था निष्क्रिय संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन जेपीसी को यह भी देखना होगा कि क्या हर छोटी लेकिन वास्तविक सामाजिक संस्था के लिए 10 लाख रुपये खर्च करना व्यावहारिक मानदंड है। सामाजिक उपयोगिता का मूल्य केवल

धनराशि से नहीं किया जा सकता। एफसीआरए की बहस को केवल सरकार बनाम 'विपक्ष' या राष्ट्रवाद बनाम नागरिक स्वतंत्रता' के द्वंद्व में सीमित करना भी उचित नहीं होगा। असली प्रश्न इससे कहीं बड़ा है-भारत विदेशी धन को किस तरह स्वीकार करेगा और यह सुनिश्चित कैसे करेगा कि विदेशी संसाधन भारतीय समाज के हित में काम करें, न कि भारत की नीतियों और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करने का माध्यम बनें? इसी के साथ यह भी तय करना होगा कि सरकार की नियामक शक्ति इतनी व्यापक न हो जाए कि स्वतंत्र सामाजिक संस्थाओं की वैध असहमति भी संदेह की दृष्टि से देखी जाने लगे। भारत जैसे विशाल और विविध लोकतंत्र में नागरिक समाज सरकार का विरोधी नहीं, बल्कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था का सहयोगी अंग है। हजारों गैर-सरकारी संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, दिव्यांग कल्याण और आपदा राहत के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक संस्था को पारदर्शिता, लेखांकन और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि नियामक का उद्देश्य संस्थाओं को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करना हो। संसद और जेपीसी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही संतुलन स्थापित करने की है। विदेशी चंदे की आड़ में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन सामाजिक सेवा की आड़ में यदि कहीं वित्तीय अनियमितता है तो उसके लिए भी कोई छूट नहीं होनी चाहिए। समान रूप से, वैध सामाजिक कार्य को केवल वैचारिक असहमति के कारण संदेह के घेरे में नहीं लाया जाना चाहिए। कानून ऐसा हो जिससे अपराध पर कठोरता और वैध सामाजिक कार्य के प्रति संवेदनशीलता-दोनों साथ चलें।

एफसीआरए संशोधन विधेयक भारत की शासन-व्यवस्था के लिए एक बड़ा अवसर भी है। यदि जेपीसी इस बहस को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठाकर तथ्य, कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के संतुलन के आधार पर देखती है, तो यह विधेयक केवल विदेशी चंदे को नियंत्रित करने वाला कानून नहीं रहेगा, बल्कि भारत में पारदर्शी, उत्तरदायी और स्वस्थ नागरिक समाज की नई आधारशिला बन सकता है।

अब अपेक्षा यह है कि जेपीसी न तो सरकारी कठोरता को आंख मूंदकर स्वीकार करे और न विपक्ष की आशंकाओं को अंतिम सत्य माने, बल्कि तथ्यों की गहराई में जाकर ऐसा संतुलित कानून सुझाए जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुरक्षित रहे, विदेशी धन भी पारदर्शी रहे और सामाजिक सेवा की स्वतंत्रता भी अक्षुण्ण रहे। यही एफसीआरए की वास्तविक कसौटी है-विदेशी धन पर नियंत्रण हो, लेकिन जनसेवा पर अंकुश नहीं।

महत्वपूर्ण

Printed & Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , 1st floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasadar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. Editor-Shreekanth Parashar. ("Responsible for selection of news under PRB Act). Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वरीकृत, टैंडर एवं सजायदी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उद्योगों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रण एवं प्रकाशक या मालिकाना को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता। — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

